उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-624/ग्यारह-2-22-9(47)/17-टी.सी.192-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(242)-2022

लखनऊः दिनांकः 18 जुलाई, 2022

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 11 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, एतदद्वारा, अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-837/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(07)-2017 दिनांक-30-06-2017, में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्:-
उक्त अधिसूचना में,

(क) अनुसूची में, -

(i) क्रम संख्या 9 और 22 के समक्ष, कॉलम (3) में शब्द "जिन्हे किसी यूनिट कंटेनर" से प्रारंभ होने वाले और शब्द "परित्याग कर दिया गया हो" से समाप्त होने वाले के स्थान पर शब्द "जिन्हें प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो" रक दिये जायेंगे;

(ii) क्रम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि

"दही, लस्सी, छाछ, उनसे भिन्न, जिन्हें प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो" रख दिये जायेंगे;

(iii) क्रम संख्या 27, 29, 30ख, 45, 46क के समक्ष, कॉलम (3) में, शब्द "जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर" से प्रारंभ होने वाले और शब्द "परित्याग कर दिया गया हो" से अंत होने वाले के स्थान पर शब्द "जिन्हे प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो" रख दिये जायेंगे;

(iv) क्रम संख्या 46ख के समक्ष, कॉलम (3) में शब्द "जिन्हे किसी यूनिट कंटेनर" से प्रारंभ होने वाले और शब्द "परित्याग कर दिया गया हो" से अंत होने वाले के स्थान पर शब्द "जिन्हें प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो" रख दिये जायेंगे;

(v) क्रम संख्या 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 और 75 के समक्ष, कॉलम (3) में, शब्द "जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर" से प्रारंभ होने वाले और शब्द "परित्याग कर दिया गया हो" से अंत होने वाले के स्थान पर शब्द "जिन्हे प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो" रख दिये जायेंगे;

(vi) क्रम संख्या 77 और 78 के समक्ष, कॉलम (3) में, शब्द "जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर" से प्रारंभ होने वाले और शब्द "परित्याग कर दिया गया हो" से अंत होने वाले के स्थान पर शब्द "जिन्हें प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो" रख दिये जायेंगे;

(vii) क्रम संख्या 94 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि

"(i) सभी प्रकार के गुड, जिसमें गन्ने से प्राप्त होने वाले गुड (सामान्य गुड), पलमेरा गुड भी आते हैं उनसे भिन्न, जिन्हे प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो;
(ii) खांड सारी चीनी, उनसे भिन्न, जिन्हें प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो" रख दिये जायेंगे;

(viii) क्रम संख्या 95 के समक्ष, कॉलम (3) में, शब्द "मुर्की के नाम से ज्ञात है" के पश्चात् शब्द और प्रतीक "उनसे भिन्न, जिन्हे प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो" बढा दिये जायेंगे;

(ix) क्रम संख्या 97क के समक्ष, कॉलम (3) में, शब्द "यूनिट कंटेनर" से प्रारंभ होने वाले और शब्द "परित्याग कर दिया गया हो" से अंत होने वाले के स्थान पर शब्द "उनसे भिन्न, जिन्हे प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो" रख दिये जायेंगे;

(x) क्रम संख्या 99 के समक्ष, कॉलम (3) में, शब्द "शुद्धीकृत" को निकाल दिया जाएगा;

(xi) क्रम संख्या 108 के समक्ष, कॉलम (3) में शब्द "जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर" से प्रारंभ होने वाले और शब्द "परित्याग कर दिया गया हो" से अंत होने वाले के स्थान पर शब्द "जिन्हें प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो" रख दिये जायेंगे;

(xiii) क्रम संख्या 118 और 122 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों को निकाल दिया जाएगा;

(xiv) क्रम संख्या 132क के समक्ष, कॉलम (3) में, शब्द "जो यूनिट कंटेनर" से प्रारंभ होने वाले और शब्द "परित्याग कर दिया गया हो" से अंत होने वाले के स्थान पर शब्द "जिन्हें प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो" रख दिये जायेंगे;

(xv) क्रम संख्या 141 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निकाल दिया जाएगा;

(ख) अनुसूची के पश्चात, स्पष्टीकरण में, खंड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

"(ii) 'प्री-पैकेज्ड और लेबल' वाक्यांश का अर्थ है 'प्री-पैकेज्ड कमोडिटी' जैसा कि विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 (अधिनियम संख्या 1 सन् 2010) की धारा 2 के खण्ड 1 में परिभाषित किया गया है, जहां पैकेज जिसमें माल पहले से पैक किया गया है अथवा लेबल सुरक्षित रुप से चिपका हुआ है, को विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या 1 सन् 2010) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों में नियत घोषणाएं धारित करना आवश्यक है ।"

2. यह अधिसूचना तारीख 18 जुलाई, 2022 को प्रवृत्त होगी ।

आज्ञा से,

(निर्तिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुखसचिव